

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 अप्रैल 2015—चैत्र 16, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2015

क्र. एफ 3-(9)-2012-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा संभागीय सर्तकता समिति, भोपाल में श्री जयंत चव्हाण को अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष तक की अवधि के लिये नियुक्त करता है.

No. F. 3 (9)-2012-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhinyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government, on the recommendation of the Lokayukta, hereby appoints Shri Jayant Chouhan as Chairman, in the Divisional Vigilance Committee, Bhopal Division for the Period of 03 years from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश कौल, उपसचिव.